भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2989

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

चीनी मिलें

2989. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

श्री सुनील कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीनी मिलों की संख्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान बढ़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ओडिशा राज्य में अस्का चीनी कारखाने के पुनरुद्धार की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार के पश्चिमी चंपारण की चीनी मिलें किसानों का शोषण कर रही हैं और वहां से गन्ने के बकाया का समय पर भुगतान न करने और तौल में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का उक्त चीनी मिलों की जाँच करने और उन पर कार्रवाई करने का विचार है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): पिछले पाँच वर्षों के दौरान, अर्थात् चीनी मौसम 2020-21 से, देश में कुल 22 नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। राज्यवार सूची इस प्रकार है:

राज्य	चीनी मिलों की संख्या
महाराष्ट्र	7

कर्नाटक	9
मध्य प्रदेश	4
उत्तर प्रदेश	1
तेलंगाना	1
कुल	**22**

(ग): मेसर्स अस्का सहकारी चीनी कारख़ाना लिमिटेड, अस्का, जिला गंजम, ओडिशा को चीनी विकास निधि (एसडीएफ) से 718.57 लाख रुपये का आधुनिकीकरण ऋण वितरित किया गया था। चीनी मिल ऋण की अदायगी में चूक कर रही थी। चीनी मिल के अनुरोध पर, उक्त एसडीएफ आधुनिकीकरण ऋण का दिनांक 01.11.2022 को पुनर्गठन किया गया है।

इसके अलावा, ओडिशा सरकार के अनुसार, अस्का सहकारी चीनी कारख़ाना लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 100 केएलपीडी अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की एक परियोजना रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 को विशेष सचिव, ओडिशा सरकार को प्रस्तुत की गई है।

(घ) एवं (ङ): बिहार सरकार के अनुसार, पश्चिमी चंपारण की सभी पाँचों चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2024-25 और उससे पहले के सत्रों में गन्ना मूल्य का 100 % भुगतान कर दिया है।

राज्य सरकार को पेराई सत्र 2024-2025 में पश्चिमी चंपारण की चीनी मिलों द्वारा तौल में अनियमितता और किसानों के शोषण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

******